रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052023-245870
CG-DL-E-13052023-245870

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 12, 2023/वैशाख 22, 1945
No. 320] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 2023/ VAISAKHA 22, 1945

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

(नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2023

सं. आर.15021/04/2022-ईएमआरबी-Reg.—राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम (2019 का 30) की धारा 57 की उपधारा (2) के खंड (जेडजे), (जेडके) और (जेडएल) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए,राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. (i) इन विनियमों को "मेडिकल प्रैक्टिसनर का पंजीकरण और चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस विनियम, 2023" कहा जाएगा।

   (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अध्याय I

प्रस्तावना

2. **परिभाषाएं :** जब तक संदर्भ के तहत अन्यथा आवश्यकता न हो, इन विनियमों में निम्नलिखित का परिभाषित अर्थ वही होगा जो नीचे दिया गया है -

   क. "अतिरिक्त योग्यताएं" ऐसी योग्यताएं हैं जो एनएमसी अधिनियम, 2019 के अध्याय VI के तहत विधिवत

मान्यता प्राप्त प्राथमिक चिकित्सा योग्यताओं के अलावा हैं और स्नातकोत्तर चिकित्सा विनियमों के अनुसार पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिसनर द्वारा प्राप्त की गई हैं।

ख. "विदेशी चिकित्सा स्नातक" ऐसा भारतीय नागरिक होगा, जिसके पास राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा प्राथमिक चिकित्सा योग्यता के रूप में वर्तमान में मान्यता प्राप्त आधुनिक / एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस करने के लिए विदेश में स्थित किसीएक विश्वविद्यालय / संस्थान से विधिवत योग्यता है परंतु किसी भारतीय विश्वविद्यालय या भारतीय मेडिकल कॉलेज या भारतीय संस्थान से प्राथमिक योग्यता (स्नातक चिकित्सा डिग्री) नहीं है।

ग. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के तहत यथा परिभाषित "भारतीय चिकित्सा रजिस्टर", राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (एनएमआर) के लागू होने से पूर्व राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (ईएमआरबी) द्वारा अनुरक्षित किया गया चिकित्सा रजिस्टर।

घ. "प्रायोजक/पर्यवेक्षक" पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिसनर होगा और उसके पास वैध विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या होगी और उसके पास भारत में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस होगा।

ङ. "प्रायोजित विदेशी मेडिकल प्रैक्टिसनर" का अभिप्राय किसी विदेशी राष्ट्र के मेडिकल प्रैक्टिसनर से होगा जिसे अस्थायी पंजीकरण के लिए प्रायोजित किया गया है।

च. "अस्थायी पंजीकरण" का अभिप्राय किसी विदेशी मेडिकल प्रैक्टिसनर के पंजीकरण से होगा, जिसे भारत में किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए और ऐसी शर्तों या ऐसी अन्य शर्तों के तहत एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अस्थायी पंजीकरण प्रदान किया गया है, जो इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

इन विनियमों में प्रयुक्त और यहां परिभाषित न किए गए लेकिन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम में परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें उस अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय II

3. इंटर्नशिप प्रशिक्षण के लिए अनंतिम पंजीकरण :

i. ऐसा कोई भी व्यक्ति इंटर्नशिप प्रशिक्षण के उद्देश्य से अनंतिम रूप से पंजीकृत होने का हकदार होगा जिसने कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता प्रदान करने के लिए भारत में किसी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान की योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की है और अनंतिम पंजीकरण के लिए संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद के पास आवेदन किया है।

ii. ऐसे किसी व्यक्ति को भी संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा इंटर्नशिप करने के लिए अनंतिम पंजीकरण प्रदान किया जा सकता है जो कोई विदेशी चिकित्सा योग्यता प्राप्त करता है और अधिनियम की धारा 15 के तहत आयोजित राष्ट्रीय निकास परीक्षा (एनईएक्सटी) उत्तीर्ण करता है, और विदेशी चिकित्सा स्नातक विनियम, 2021 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।

अध्याय III

4. प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (एनएमआर) में पंजीकरण :

i. ऐसा कोई भी व्यक्ति एनएमआर में पंजीकरण के लिए पात्र होगा जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के तहत मान्यता प्राप्त कोई प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्राप्त करता है और अधिनियम की धारा 15 के तहत आयोजित राष्ट्रीय निकास परीक्षा उत्तीर्ण करता है।

ii. विदेशी चिकित्सा स्नातक विनियम, 2021 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन, ऐसा व्यक्ति भी एनएमआर में पंजीकरण के लिए पात्र होगा जो कोई विदेशी चिकित्सा योग्यता प्राप्त करता है और अधिनियम की धारा 15 के तहत आयोजित राष्ट्रीय निकास परीक्षा उत्तीर्ण करता है।

iii. विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या का सृजन : नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (ईएमआरबी), राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा केंद्रीय रूप से यूआईडी का सृजन किया जाएगा और इस प्रकार प्रैक्टिसनर

को एनएमआर में पंजीकरण और भारत में चिकित्सा की प्रैक्टिस करने की पात्रता प्रदान की जाएगी।

iv. यूआईडी के सृजन के लिए प्रसंस्करण शुल्क (ईएमआरबी, एनएमसी द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित) सचिव, एनएमसी के पक्ष में देय होगा।

जब तक ये विनियम और उपयुक्त धाराएं लागू रहेंगी, प्रैक्टिस करने का लाइसेंस और पंजीकरण की प्रचलित प्रणाली जारी रहेगी।

5. राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर :

i. नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर का राष्ट्रीय रजिस्टर अनुरक्षित करेगा। राष्ट्रीय रजिस्टर में राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा अनुरक्षित सभी राज्य रजिस्टर के पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिसनर की सभी प्रविष्टियां होंगी।

ii. राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की वेबसाइट पर डालकर जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और यह मेडिकल प्रैक्टिसनर के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित करेगा :

क) पंजीकरण संख्या

ख) नाम

ग) पिता का नाम

घ) पंजीकरण की तारीख

ङ) कार्य करने का स्थान (अस्पताल/संस्थान का नाम)

च) अतिरिक्त चिकित्सा योग्यता सहित चिकित्सा योग्यता

छ) स्पेशियलिटी

ज) उत्तीर्ण होने का वर्ष

झ) विश्वविद्यालय

ञ) संस्थान (संस्थानों)/विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालयों) का नाम (जहां से योग्यता प्राप्त की गई है)

6. चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस प्रदान करना :

चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया :

क) लाइसेंस प्राप्त करने के उद्देश्य से, कोई व्यक्ति नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड के वेब पोर्टल के माध्यम से ऐसे विवरण के साथ आवेदन कर सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में निर्दिष्ट किए गए हैं।

ख) पात्र व्यक्ति चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी राज्य/राज्यों को चुन सकता है और वेब पोर्टल के माध्यम से किए गए आवेदन को संबंधित राज्य/राज्य चिकित्सा परिषद के पास भेजा जाएगा।

ग) राज्य चिकित्सा परिषद स्वयं को संतुष्ट करेगी और 30 दिन की अवधि के भीतर उचित शुल्क लेने के बाद उस राज्य में चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस देने के आवेदन पर विचार करेगी।

घ) लाइसेंस के प्रमाण पत्र में एक पंजीकरण संख्या शामिल होगी जो इस तरह से बनाई जाएगी कि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कोड के साथ एक विशिष्ट पहचान संख्या जोड़ी जाएगी।

ङ) राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा आवेदन के अनुमोदन पर, इसे राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर और राज्य चिकित्सा रजिस्टर में भी दर्शाया जाएगा।

7. अतिरिक्त योग्यता का पंजीकरण :

i. जब भी एक पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिसनर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के तहत मान्यता प्राप्त अतिरिक्त चिकित्सा योग्यता प्राप्त करेगा, राज्य रजिस्टर/राष्ट्रीय रजिस्टर में अपने नाम के सामने अतिरिक्त

चिकित्सा योग्यता दर्ज करने के लिए संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद के पास आवेदन करेगा।

ii. अतिरिक्त योग्यता (योग्यताओं) के लिए आवेदन की जांच के बाद, अतिरिक्त योग्यता (योग्यताओं) और अतिरिक्त योग्यता दर्ज करने की तिथि को शामिल करते हुए आवेदक को उसी संख्या के साथ एक नया पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

iii. राज्य रजिस्टर में अतिरिक्त चिकित्सा योग्यता के पंजीकरण पर, राष्ट्रीय रजिस्टर में मेडिकल प्रैक्टिसनर के नाम के सामने उसकी प्रविष्टि स्वतः हो जाएगी।

iv. पंजीकृत अतिरिक्त योग्यता वाले लाइसेंस प्राप्त प्रैक्टिसनर को अतिरिक्त ज्ञान और कौशल के अनुरूप, इसके सभी विशेषाधिकारों के साथ, जैसा भी मामला हो, भारत में कहीं भी अतिरिक्त योग्यता के लिए यथा लागू विशेषज्ञता / सुपर विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रैक्टिस करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

v. प्रमाण पत्र की वैधता अवधि का विवरण अतिरिक्त योग्यता (योग्यताओं) को शामिल करने की तारीख के उल्लेख के साथ उसी रूप में बना रहेगा जो मूल प्रमाण पत्र में है।

vi. जब तक राष्ट्रीय रजिस्टर लागू नहीं होता है, अतिरिक्त योग्यता के पंजीकरण की मौजूदा प्रणाली जारी रहेगी।

8. चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लाइसेंस का नवीनीकरण

i. चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिसनर को जारी किया गया लाइसेंस पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जिसके बाद मेडिकल प्रैक्टिसनर को इन विनियमों के खंड 6(ii) के तहत निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार राज्य चिकित्सा परिषद के पास आवेदन करके लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा।

ii. लाइसेंस की वैधता समाप्त होने से तीन महीने पहले लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है।

iii. परंतु यह कि यदि लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के तीन महीने के भीतर कोई आवेदन प्राप्त नहीं होगा, तो राज्य रजिस्टर में मेडिकल प्रैक्टिसनर के नाम की प्रविष्टि को निष्क्रिय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा और वह व्यक्ति चिकित्सा की प्रैक्टिस करने का हकदार नहीं होगा। राज्य रजिस्टर में किसी मेडिकल प्रैक्टिसनर के नाम के सामने स्थिति - 'निष्क्रिय' की प्रविष्टि राष्ट्रीय रजिस्टर में स्वयमेव प्रतिबिंबित होगी।

9. प्रैक्टिस करने के लाइसेंस का स्थानांतरण

i. यदि राज्य चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत कोई मेडिकल प्रैक्टिसनर किसी अन्य राज्य में चिकित्सा की प्रैक्टिस करने का इच्छुक है, तो वह इन विनियमों के खंड 6(ii) में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड के वेब पोर्टल के माध्यम से संबंधित राज्य के पास आवेदन कर सकता है।

ii. प्रैक्टिस करने के लाइसेंस के स्थानांतरण के लिए आवेदन जमा करने पर, उस राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा सूचना प्राप्त की जाएगी जहां मेडिकल प्रैक्टिसनर प्रैक्टिस करने के लिए पंजीकृत है और राज्य चिकित्सा परिषद 30 दिन की अवधि के भीतर प्रैक्टिस करने के लाइसेंस के स्थानांतरण के लिए आवेदन को मंजूरी प्रदान करेगी, अगर उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

iii. यदि पंजीकरण के स्थानांतरण के लिए आवेदन की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो उसे अनुमोदित माना जाएगा।

iv. जिस राज्य में मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करना चाहता है, उस राज्य की राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रैक्टिस करने के लाइसेंस के स्थानांतरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, उपरोक्त खंड (i) और (ii) की आवश्यकता के अधीन, उस राज्य में चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस करने का लाइसेंस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

परंतु यह कि पंजीकरण की विशिष्ट संख्या वही रहेगी और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पूर्वलग्न कोड को नए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कोड से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

v. राज्य के संबंध में किए गए परिवर्तन राष्ट्रीय रजिस्टर में स्वयमेव परिलक्षित होंगे।

10. पंजीकरण को हटाना और बहाल करना

i. यदि किसी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिसनर का नाम राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के तहत स्थायी या अस्थायी रूप से राज्य रजिस्टर से हटाया जाता है, तो संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद राज्य रजिस्टर मेंसंबंधित मेडिकल प्रैक्टिसनर के नाम के सामने इस आशय की प्रविष्टि करेगी।

ii. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के तहत राज्य रजिस्टर में पंजीकृत किसी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिसनर के नाम की बहाली पर, संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद राज्य रजिस्टर मेंसंबंधित मेडिकल प्रैक्टिसनर के नाम के सामने इस आशय की प्रविष्टि करेगी।

iii. नाम को हटाने या बहाल करने के लिए राज्य रजिस्टर में की गई प्रविष्टियां राष्ट्रीय रजिस्टर में स्वयमेव परिलक्षित देंगी।

11. अस्थायी प्रावधान

भारतीय चिकित्सा रजिस्टर या राज्य चिकित्सा रजिस्टर में नामांकित सभी मौजूदा मेडिकल प्रैक्टिसनर, जिनके पास इन विनियमों के अनुसार पंजीकरण संख्या नहीं है, एकबारगी उपाय के रूप में इन विनियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरणबोर्ड के वेब पोर्टल में लाइसेंस को अद्यतन करेंगे और पंजीकरण संख्या प्राप्त करेंगे और इस प्रकार सृजित लाइसेंस जारी होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए वैध होगा। ऐसे मेडिकल प्रैक्टिसनर के लाइसेंस को अद्यतन करने के प्रयोजन के लिए, ईएमआरबी, एनएमसी द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

12. प्रैक्टिस करने के लाइसेंस से इनकार

i. यदि राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रैक्टिस करने/नवीनीकरण के लिए लाइसेंस प्रदान करने के आवेदन को किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जाता है, तो संबंधित आवेदक इस तरह के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर राज्य चिकित्सा परिषद के निर्णय के खिलाफ नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड के पास अपील दाखिल कर सकता है।

ii. ऐसी अपील निम्नलिखित के साथ सचिव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को प्रस्तुत की जा सकती है :

क. राज्य चिकित्सा परिषद को प्रस्तुत मूल आवेदन।

ख. यदि आवेदन की अस्वीकृति के लिए राज्य चिकित्सा परिषद से आदेश/ संचार प्राप्त हुआ है तो उसकी प्रतिलिपि।

ग. अस्वीकृति के आधारों का विरोध करने वाला एक लिखित आवेदन।

घ. सचिव, एनएमसी के पक्ष में देय प्रसंस्करण शुल्क (ईएमआरबी, एनएमसी द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित)।

iii. नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड अपील की जांच करेगा और तीस दिन के भीतर निर्णय लेगा। यदि नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड द्वारा अपील स्वीकार की जाती है, तो इसके द्वारा यह आदेश पारित किया जा सकता है कि राज्य चिकित्सा परिषद आवेदक को प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस प्रदान करे और ईएमआरबी द्वारा इस तरह से पारित किया गया आदेश राज्य चिकित्सा परिषद पर बाध्यकारी होगा। ऐसे मामले में, राज्य चिकित्सा परिषद तत्काल और इस तरह के आदेश की प्राप्ति की तारीख से अधिक से अधिक पंद्रह दिन के भीतर आवेदक को प्रैक्टिस करने का लाइसेंस प्रदान करेगी।

iv. यदि ईएमआरबी द्वारा पहली अपील खारिज कर दी जाती है, तो आवेदक ईएमआरबी से संचार की प्राप्ति से साठ दिन की अवधि के भीतर एनएमसी के पास दूसरी अपील दायर कर सकता है। यदि एनएमसी द्वारा अपील स्वीकार की जाती है, तो खंड 12 (iii) के तहत निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। एनएमसी का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय IV

13. विदेशी मेडिकल प्रैक्टिसनर का अस्थायी पंजीकरण :

ऐसे विदेशी नागरिक[1] को भारत में चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए प्रायोजित[2] होने पर निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अस्थायी पंजीकरण[3] की अनुमति[4] प्रदान की जा सकती है जो अपने देश में मेडिकल प्रैक्टिसनर के पंजीकरण को नियंत्रित करने वाले कानून के अनुसार मेडिकल प्रैक्टिसनर के रूप में अपने देश में नामांकित है :

i. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के तहत मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम करना।

ii. फेलोशिप/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम/नैदानिक अनुसंधान/नैदानिक प्रशिक्षण/पर्यवेक्षकता।

iii. विशेषज्ञ दौरा - चिकित्सा पेशे के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी आवश्यक तकनीकों/प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जो देश में उपलब्ध नहीं हैं।

iv. स्वैच्छिक नैदानिक सेवा - सामुदायिक सेवा करने के लिए डॉक्टर के रूप में विजिट करना।

13.1 आवेदन करने की प्रक्रिया :

13.1.1 स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम करने के लिए :

i. उस देश में मेडिकल प्रैक्टिसनर के पंजीकरण को विनियमित करने वाले कानून के अनुसार मेडिकल प्रैक्टिसनर के रूप में अपने देश में नामांकित विदेशी नागरिक[5] राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के तहत मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता में प्रवेश के लिए संबंधित प्रवेश परीक्षा में बैठ सकता है।

ii. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विदेशी नागरिक किसी भी संस्थान में चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करता है, नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड के वेब पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अस्थायी पंजीकरण प्रदान करने के लिए एनएमसी के पास आवेदन कर सकता है :

   क. प्राथमिक चिकित्सा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के दस्तावेज/प्रमाण पत्र।

   ख. अपने देश में मेडिकल प्रैक्टिसनर के रूप में नामांकित होने का प्रमाण पत्र।

   ग. प्रवेश परीक्षाओं का स्कोर कार्ड।

   घ. प्रवेश के लिए संबंधित परामर्श प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया आवंटन पत्र

   ङ. चिकित्सा संस्थान द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र।

   च. सचिव, एनएमसी के पक्ष में देय प्रसंस्करण शुल्क (ईएमआरबी, एनएमसी द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित)।

iii. आवेदन की जांच करने पर, यदि उसे इन विनियमों में आवश्यकता के अनुसार सही पाया जाता है, तो नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड स्नातकोत्तर/सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम की

---

[1]देश में विदेशी नागरिकों के अधिकार विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभिशासित होते हैं और इसलिए कोई भी अनुमति इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं के अधीन होगी।

[2]उस देश में मेडिकल प्रैक्टिसनर के रूप में पंजीकृत विदेशी नागरिक को आमंत्रित / प्रायोजित करने से संबंधित प्राधिकरण प्रायोजित व्यक्ति के आचरण के लिए जिम्मेदार होगा।

[3]यदि व्यक्ति किसी भी नियम/विनियम का उल्लंघन करता है या चिकित्सा पेशे से बाहर की गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो अस्थायी पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

[4]अस्थायी पंजीकरण की अवधि अस्थायी पंजीकरण की अंतिम तिथि की समाप्ति पर या रजिस्ट्रेंट द्वारा धारित वैध भारतीय वीजा की समाप्ति की तिथि को, जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएगी।

[5]अस्थायी पंजीकरण चाहने वाले आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित उपयुक्त वीजा प्रदान करना होगा।

अवधि के लिए विदेशी नागरिक को अस्थायी पंजीकरण प्रदान कर सकता है जो उस संस्थान / मेडिकल कॉलेज तक सीमित होगा जिसमें उसे प्रवेश दिया गया है।

13.1.2 फेलोशिप/नैदानिक अनुसंधान/नैदानिक प्रशिक्षण/पर्यवेक्षण आदि

i. विदेशी नागरिक को भारत में किसी भी संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण या शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपने कौशल और क्षमता को बढ़ाने के लिए फैलोशिप/नैदानिक अनुसंधान/ नैदानिक प्रशिक्षण/पर्यवेक्षण करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

ii. इस उद्देश्य के लिए, संस्थान निम्नलिखित विवरण के साथ वेब पोर्टल के माध्यम से नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड के पास आवेदन कर सकता है :

क. विदेशी नागरिक का नाम और पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

ख. पाठ्यक्रम सामग्री, अवधि, प्रशिक्षण की सुविधाओं, शिक्षण और अवसंरचना सुविधाओं से संबंधित जानकारी (विवरण संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध होने चाहिए)

ग. संस्थान द्वारा लिए जा रहे शुल्क का विवरण।

घ. सचिव, एनएमसी के पक्ष में देय प्रसंस्करण शुल्क (ईएमआरबी, एनएमसी द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित)।

iii. आवेदन की जांच करने पर, यदि उसे इन विनियमों में आवश्यकता के अनुसार सही पाया जाता है, तो नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड विदेशी नागरिक के संबंध में अस्थायी पंजीकरण प्रदान कर सकता है जो अधिकतम 12 महीने[6] की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके बाद एक वर्ष की शीतलन अवधि होगी और यह कार्यक्रम प्रायोजित करने वाले मेडिकल कॉलेज / संस्थान/अस्पताल तक सीमित होगा।

13.1.3 विशेषज्ञ दौरा :

i. संस्थान/मेडिकल कॉलेज/अस्पताल उस देश में मेडिकल प्रैक्टिसनर के पंजीकरण को विनियमित करने वाले कानून के अनुसार अपने देश में नामांकित ऐसे विदेशी नागरिकों को आधुनिक चिकित्सा के मेडिकल प्रैक्टिसनर के रूप में/या चिकित्सा पेशे के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक तकनीकों, प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से सेमिनार/सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित कर सकता है जिनके पास संबंधित विषयों के अनुरूप चिकित्सा ज्ञान, अनुभव और कौशल है।

ii. इस उद्देश्य के लिए, संस्थान निम्नलिखित विवरण के साथ वेब पोर्टल के माध्यम से नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड के पास आवेदन कर सकता है :

क. विदेशी नागरिक का नाम और पंजीकरण प्रमाण पत्र

ख. विदेशी नागरिक की यात्रा के उद्देश्य से संबंधित जानकारी

ग. संस्थान द्वारा प्रदान किए जा रहे शुल्क / पारिश्रमिक का विवरण।

घ. सचिव, एनएमसी के पक्ष में देय प्रसंस्करण शुल्क (ईएमआरबी, एनएमसी द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित)।

iii. आवेदन की जांच करने पर, यदि उसे इन विनियमों में आवश्यकता के अनुसार सही पाया जाता है, तो नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड विदेशी नागरिक के संबंध में अस्थायी पंजीकरण प्रदान कर सकता है जो कार्यक्रम/दौरे की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा और यह उस संस्थान/मेडिकल कॉलेज/अस्पताल तक सीमित होगा जिससे वह संबद्ध है।

[6]असाधारण परिस्थितियों में ईएमआरबी मामले दर मामले के आधार पर उक्त अवधि में छूट प्रदान करने पर विचार कर सकता है।

13.1.4 स्वैच्छिक नैदानिक सेवा -

i. संस्थान /मेडिकल कॉलेज/अस्पताल/आरएमपी सामुदायिक सेवा संपन्न करने के उद्देश्य से उस देश में मेडिकल प्रैक्टिसनर के पंजीकरण को विनियमित करने वाले कानून के अनुसार मेडिकल प्रैक्टिसनर के रूप में अपने देश में नामांकित विदेशी नागरिक की यात्रा को प्रायोजित कर सकता है।

ii. इस प्रयोजन के लिए, प्रायोजक प्राधिकारी निम्नलिखित विवरण के साथ वेब पोर्टल के माध्यम से नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड के पास आवेदन कर सकता है :

क. विदेशी नागरिक का नाम और पंजीकरण प्रमाण पत्र

ख. सामुदायिक सेवाओं से संबंधित जानकारी

ग. सचिव, एनएमसी के पक्ष में देय प्रसंस्करण शुल्क (ईएमआरबी, एनएमसी द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित)।

iii. आवेदन की जांच करने पर, यदि उसे इन विनियमों में आवश्यकता के अनुसार सही पाया जाता है, तो नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड विदेशी नागरिक के संबंध में अस्थायी पंजीकरण प्रदान कर सकता है जो अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके बाद एक वर्ष की शीतलन अवधि होगी और यह कार्यक्रम प्रायोजित करने वाले मेडिकल कॉलेज / संस्थान / अस्पताल तक सीमित होगा।

पंकज अग्रवाल, सचिव (I/c)

[विज्ञापन-III/4/असा./101/2023-24]

NATIONAL MEDICAL COMMISSION

(Ethics And Medical Registration Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2023

No. R.15021/04/2022-EMRB-Reg.—Inexercise of the powers conferred by clauses (zj), (zk) and (zl) of sub section (2) of section 57; of the National Medical Commission Act (30 of 2019), the National Medical Commission hereby makes the following Regulations.

1. (i) These Regulations may be called the "Registration of Medical Practitioners and Licence to Practice Medicine Regulations, 2023".

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

CHAPTER I

Preliminary

2. Definitions: Unless the context demands otherwise, in these Regulations the followingshall have the defined meaning as below -

a. "**Additional Qualifications**" are those qualifications other than the Primary Medical Qualifications duly recognized under Chapter VI of the NMC Act 2019 and obtained by Registered Medical Practitioner as per Post Graduate Medical Regulations.

b. "**Foreign Medical Graduate**" will be anIndian Citizen who has duly qualified to practice modern / allopathic system of medicine, as currently recognized as a Primary Medical Qualification by the National Medical Commission,from an university / institution overseas but does not have primary medical qualification (undergraduate medical degree), from an Indian university or Indian medical college or an Indian institution.

c. "**Indian Medical Register**" as defined under Indian Medical Council Act, 1956, the medical register maintained by Ethics & Medical Registration Board (EMRB) of the National Medical Commission **before** coming into force of the National Medical Register (NMR).

d. "**Sponsor/supervisor**" shall be a registered Medical Practitioner and having valid Unique Identification (UID) Number and have licence to practice in India.

e. "**Sponsored foreignmedical Practioner**" shall mean a medical practitioner of a foreign country who has been sponsored for temporary registration.

f. "**Temporary Registration**" shall mean the registration of a Foreign Medical Practitioner who has been granted Temporary Registration for a specific purpose in India and for a specified period of time under such stipulation or such other conditions that may be specified under these Regulations.

Words and expressions used in these Regulations and not defined herein but defined in the National Medical Commission's Act, shall have the same meaning assigned to them in that Act.

CHAPTER II

3. Provisional registrationfor Internship training:

i. Any person who has passed the qualifying examination of any University or medical institution in India for the grant of a recognized medical qualification shall be entitled to be registered provisionally for the purpose of internship training and on an application made for provisional registration to the concerned State Medical Council.

ii. Any person who obtains a foreign medical qualification and qualifies the National Exit Test (NExT) held under section 15 of the Act, and fulfils conditions specified in the Foreign Medical Graduated Regulations, 2021 may also be granted provisionalregistration for doing internship by the concerned State Medical Council.

CHAPTER III

4. Registration in National Medical Register (NMR) for licence to practice:

i. Any person who obtains a primary medical qualification recognized under the National Medical Commission Act, 2019 and qualifies the National Exit Test held under section 15 of the Act, shall be entitled for grant of registration in NMR.

ii. Any person who obtains a foreign medical qualification and qualifies the National Exit Test held under section 15 of the Act, shall also be entitled for grant of registration in NMR, subject to fulfilment of conditions specified in the Foreign Medical Graduates Regulation, 2021.

iii. Generation of Unique Identification (UID) Number: An UID shall be generated centrally by the Ethics & Medical Registration Board (EMRB), National Medical Commission (NMC) and thereby grant the practitioner, Registration in NMR and Eligibility to practice medicine in India.

iv. A processing fee for generation of UID (as prescribed by EMRB, NMC from time to time shall be payable), in favour of the Secretary, NMC.

Until such time that these Regulations and appropriate sections are in force, licence topractice and prevailing system of Registration shall continue.

5. National Medical Register:

i. The Ethics and Medical Registration Board shall maintain a National Register of medical practitioner. The National Register shall contain all the entries of the registered medical practitioners of all State Register maintained by the State Medical Councils.

ii. The National Medical Register shall be made available to the public by placing it on the website of the National Medical Commission and shall display the following information in respect of a medical practitioner:

a) Registration No.

b) Name:

c) Father's Name

d) Date of Registration

e) Place of Working (Name of the Hospital/Institute)

f) Medical qualification including additional medical qualification

g) Specialty

h) Year of passing

i) University

j) Name of the Institute(s)/University(s) (Where qualification obtained)

6. Grant of licence to practice medicine:

Procedure for making application for licence to practice medicine:

a) For the purpose of obtaining licence, a person may apply through a web portal of the Ethics & Medical Registration Board containing such details as specified in the **electronic format.**

b) The eligible person may opt any State/States to practice medicine and the application so made through the web portal shall be referred to the concerned State/ States Medical Council.

c) The State Medical Council shall **satisfy themselves and** consider the application for grantof licence to practice medicine in that state after charging appropriate fee within a period of 30 days.

d) The certificate of licence shall contain a registration number which shall be formed in such a way that a Unique Identification Number shall be suffixed with a Code of the concerned State/Union Territory.

e) On approval of the application by the State Medical Council, the same shall be reflected in the National Medical Register and alsoin the State Medical Register.

7. Registration of Additional Qualifications:

i. As and when a Registered Medical practitioner, obtains additional medical qualification recognized under the National Medical Commission Act, 2019 shall apply to the concerned State Medical Council for entering additional medical qualification against his/her name in the State Register/National Register.

ii. After scrutiny of the application for Additional Qualification (s), a new Registration Certificate, with the same number, incorporating the additional qualification (s) and the date of entering the additional qualification, shall be issued to the applicant.

iii. On registration of additional medical qualification in the State Register, the entry thereof shall automatically be made against the name of the medical practitioner in the National Register.

iv. A licenced Practitioner with registered Additional Qualifications shall be allowed to practice in the field of specialization/super-specializationcommensurate with additional knowledge and skill obtained, as applicable to the additional qualification anywhere in India with all its privileges as the case may be.

v. The details of the period of validity of the Certificate shall remain as in the original certificate with a mention of date incorporating the additional qualification (s).

vi. **Before**, the National Register comes into force the existing system of the registration of the additional qualification shall continue.

8. Renewalof licence to practice medicine

i. The licence to practice medicine issued to a registered medical practitioner shall be valid for a period of **Five years** after which the medical practitioner shall have to renew the licencing by making an application to the State Medical Council as per the procedure specified under clause 6 (ii) of these Regulations.

ii. The application for renewal of licence may be made before three month of expiration of the validity of licence.

iii. Provided that if no application is received within three month of expiration of the validity of licence, the entry of the name of the medical practitioner in the State Register shall be converted as **inactive** and the person shall not be entitled to practice medicine. The entry of the status – 'inactive' made in the State Register against a medical practitioner, shall automatically reflected in the National Register.

9. Transfer of Licence to Practice

i. If any medical practitioner registered with the State Medical Council, desirous to practice medicine in another State may apply to the concerned State through the web portal of the Ethics & Medical Registration Board in accordance with the procedure specific in Clause 6(ii) of these Regulations.

ii. On submission of an application for transfer of **Licence to Practice**, an intimation shall be received by the State Medical Council where the medical practitioner is registered for **practice** and the State Medical Council within a period of 30 days shall approve the application for transfer of **Licence to Practice**, if it has no objection thereon.

iii. **If no decision is taken within 30 days of receipt of the transfer of registration the same shall be deemed to have been approved.**

iv. On receipt of an application for transfer **of Licence to Practice** by the State Medical Council of the state where the medical practitioner desires to practice, shall subject to the requirement of clause (i) and (ii) above, issue a**Licence to Practice** certificate to practice medicine in that state.

Provided that the unique number of the registration shall remain the same and the prefixed Code of the concerned State/Union Territory shall be substitute with the Code of the new State/Union Territory.

v. The changes made in respect of the State, shall automatically reflected in the National Register.

10. Removal and Restoration of Registration

i. If the name of a registered medical practitioner is removed from the State Register under the provisions of the Regulations framed by the National Medical Commission, permanently or temporarily, the State Medical Council concerned, shall make an entry against the name of the concerned medical practitioner for the effect in the State Register.

ii. On restoration of name of any registered medical practitioner in the State register under the provision of the Regulations framed by the National Medical Commission, the State Medical Council concerned, shall make an entry against the name of the concerned medical practitioner for that effect in the State Register.

iii. The entries made for removal or restoration of name in the State Register, shall automatically reflected in the National Resister.

11. Transitory Provisions

All the existing medical practitioner enrolled in the Indian Medical Register or the State Medical Register, not having the registration number as per these Regulation shall update in the web portal of the Ethics & Medical Registration Board within aperiod of three months of publishing of these Regulation and obtain the Registration Number as a onetime measure and the licence so generated shall be valid for periodof five years from the date of issuance. For the purpose of updating of licence of such medical practitioner, no fee shall be charged by EMRB, NMC.

12. Denial of Licence to Practice

i. If the application of a candidate for grant of licence to practice /for renewal is rejected by the State Medical Council on any ground, the applicant concerned may file an appeal to the Ethics and Medical Registration Board against the decision of the State medical Council, within thirty days of receipt of such decision.

ii. Such an appeal may be submitted to the Secretary, National Medical Commission along with the following:

a. Original application submitted to the State Medical Council.

b. Copy if order/communication received from the State Medical Council for rejection of the appeal.

c. A written application contending the grounds of rejection.

d. A processing fee (as prescribed by EMRB, NMC from time to time),in favour of the Secretary, NMC.

iii. The Ethics and Medical Registration Board shall examine the appeal and take a decision within thirty days. If the appeal is allowed by the Ethics and Medical Registration Board, it may pass an order for the State Medical Council to grant licence to practice to the applicant and the order so passed by the EMRB shall by binding on the State Medical Council. In such case, the State Medical Council **shall** forthwith and not more than fifteen days of receipt of such order, shall grant licence to practice to the applicant.

iv. In case, the first appeal is rejected by the EMRB, the applicant may file a second appeal to the NMC, within a period of sixty days from receipt of communication form EMRB. If the appeal is allowed by the NMC, the procedure specified under clause 12 (iii) shall be followed. The decision of the NMC shall be final.

CHAPTER IV

13. Temporary registration to the foreign medical practitioner:

A foreign citizen[1] who is enrolled in hiscountry as a medical practitioner in accordance with the law regulating the registration of medical practitioners in that country **on being sponsored[2]** to practice medicine in India may be permitted[3] temporary registration[4] for the following purposes:

i. For pursuing Postgraduate and Super-Specialty courses recognized under the NationalMedical Commission Act, 2019.

ii. Fellowship/Certificate Courses/Clinical Research/Clinical Training/Observership.

iii. Expert Visit- for providing the training in techniques/procedures required in various areas of the medical profession and not available in the country.

iv. Voluntary Clinical Service- Visiting as a doctor for performing community service.

13.1. Procedure for making application:

13.1.1 For Pursuing Postgraduate and Super-Specialty courses:

i. A foreign citizen[5], enrolled in his/her country as a medical practitioner in accordance with the law regulating the registration of medical practitioners in that country, may appear in the concerned entrance examinationfor admission to the medical qualification recognized under the National Medical Commission Act, 2019.

ii. The foreign citizen on qualifying the entrance exam gets admission in the medical course in any Institutemay apply to the NMC for grant of temporary registration along with the following documents through the web portal of the Ethics and Medical Registration Board:

a. Documents/ certificate of qualifying primary medical course.

b. Certificate of enrolled in his country as a medical practitioner in that country

c. Score Card of the entrance examinations

d. Allotment Letter issued by the concerned Counselling Authority for admission

e. Admission Letter issued by the Medical Institution.

f. A processing fee (as prescribed by EMRB, NMC from time to time), in favour of the Secretary, NMC.

iii. On scrutiny of the application, if the same is found to be correct as required in these Regulations, the Ethics and Medical Registration Board may grant a temporary registration to the foreign national for the duration of the Post Graduate/ Super Specialty course limited to the Institute/ Medical College to which he/she is admitted.

13.1.2 Fellowship/Clinical Research/Clinical Training/Observership etc.

i. A foreign citizen may be allowed to do Fellowship/Clinical Research/ Clinical training / Observership for enhancing their skill and competence through training or academic courses conducted in any Institute in India.

ii. For the purpose, the Institutemay apply to the Ethics and Medical Registration Board through the web portal along with the following details:

a) Name and registration certification of the foreign citizen (if applicable)

---

[1] The right of the Foreign Nationals in the country are governed under the provisions of the Foreigners Act and therefore any permission shall be subject to the Guidelines/Notifications issued by the Ministry of Home Affairs in this regard.

[2] The authority concerned with inviting/sponsoring a foreign national registered as a medical practitioner in that country shall be responsible for the conduct of the sponsored person.

[3] The temporary registration may be cancelled, if the person breaches any of the Rules/Regulation or is found to be involved in activities outside of medical profession.

[4] The duration of the temporary registration shall cease to be in operation on the end of the last date of the temporary registration or on the date of expiry of the valid Indian visa held by the registrant, whichever is earlier.

[5] The applicant seeking temporary registration shall have granted the appropriate visa prescribe by the Government of India.

b) Information related to course content, duration, training facilities, teaching, and infrastructure facilities (details should be available on the website of the Institute)

c) Details of fee being charged by the Institute.

d) A processing fee (as prescribed by EMRB, NMC from time to time), in favour of the Secretary, NMC.

iii. On Scrutiny of the application, if the same is found to be correct as required in these regulations, the Ethics and Medical Registration Board may grant a temporary registration in respect of the foreign national which shall be provided for a maximum period of 12 months[6] followed by a cooling off period of **one year** and shall be limited to the medical college/institution/hospital sponsoring the programme.

13.1.3 Expert visit:

i. A Institute/ Medical College/ Hospital may invite foreign citizen enrolled in his country as a medical practitioner of modern medicine in accordance with the law regulating the registration of medical practitioners in that country, who possess medical knowledge, experience and skills commensurate with the concerned subjects/or as a resource person in seminar/ conference/ symposia/workshop for the purpose of providing training in techniques, procedures required in various areas of medical profession.

ii. For the purpose, the Institute may apply to the Ethics and Medical Registration Board through the web portal along with the following details:

a) Name and registration certification of the foreign nationals

b) Information related to the purpose of visit of foreign national

c) Details of fee/remuneration being provided by the Institute.

d) A processing fee (as prescribed by EMRB, NMC from time to time), in favour of the Secretary, NMC.

iii. On scrutiny of the application, if the same is found to be correct as required in these Regulations, the Ethics and Medical Registration Board may grant a temporary registration in respect of the foreign national which shall be provided for the duration of the programme/visit and shall be limited to the Institution/Medical College/Hospital to which he/she is attached.

13.1.4 Voluntary clinical service-

i. A Institute /Medical College/Hospital/RMP may sponsor the visit of a foreign citizenenrolled in his country as a medical practitioner in accordance with the law regulating the registration of medical practitioners in that country, for the purpose of performing community service.

ii. For the purpose, the sponsoring authority may apply to the Ethics and Medical Registration Board through the web portal along with the following details:

a) Name and registration certification of the foreign nationals

b) Information related the community services

c) A processing fee (as prescribed by EMRB, NMC from time to time), in favour of the Secretary, NMC.

iii. On Scrutiny of the application, if the same is found to be correct as required in theseRegulation, the Ethics and Medical Registration Board may grant a temporary registration in respect of the foreign national which shall be provided for a maximum period of 12 months followed by a cooling period of one year and shall be limited to the medical college/institution/hospital sponsoring the programme.

PANKAJ AGRAWAL, Secy. (I/c)

[ADVT.-III/4/Exty./101/2023-24]

[6] In exceptional circumstances EMRB may consider relaxation in the said period on case to case basis.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.